बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

अधिसूचना

संख्याः—वन क्षेत्र पदा0–06/2012/प०व०,	पटना—15, दिनांकः
---------------------------------------	------------------

भारत-संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्ते), नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:—

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्म।—
 - (1) यह नियमावली, ''बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2020'' कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत होगी।
- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते), नियमावली, 2013 का नियम−2(ii) का प्रतिस्थापन ⊢ उक्त नियमावली का नियम−2(ii) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः–
 - 2(ii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य कोई पर्षद्/आयोग/प्राधिकार;
- 3. वर्नों के क्षेत्र पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते), नियमावली, 2013 का नियम—11 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली का नियम—11 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—
 - 11 लिखित परीक्षा |— आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा के लिये कुल अंक, परीक्षा के विषयों का विनिश्चय आयोग द्वारा किया जायेगा। परीक्षा के परीक्षाफल हेतु न्यूनतम अर्हतांक के संबंध में निर्णय आयोग द्वारा बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश के अनुसार लिया जायेगा। लिखित परीक्षा के मानक एवं प्रक्रिया का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः वन क्षेत्र पदा0—06 / 2012/प०व०, पटना—15, दिनांकः प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह० ∕ −
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
ज्ञापांकः वन क्षेत्र पदा0-06/2012/प०व०, पटना-15, दिनांकः
प्रतिलिपि–अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को (सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित)
बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।
2. इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
ह० ∕ −
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
ज्ञापांकः वन क्षेत्र पदा 0-06/2012/प०व०, पटना-15, दिनांकः
प्रतिलिपि—महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार,
पटना / मुख्य सचिव, बिहार / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय
आयुक्त / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / अध्यक्ष,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना / माननीय उप मुख्य (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग / विभाग के सभी
पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
पदाविकारी का सूचनाव रूप जावरवक कारपाई रुपु प्राप्तान
₹o / −
(दीपक कुमार सिंह) सरकार के प्रधान सचिव
ज्ञापांकः वन क्षेत्र पदा0-06/2012/प०व०, पटना-15, दिनांकः
प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार,
पटना / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / सभी मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमंडल
पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह०∕-
(दीपक कुमार सिंह) सरकार के प्रधान सचिव
ज्ञापांकः वन क्षेत्र पदा0-06/2012 2081 /प०व०, पटना-15, दिनांकः 25/06/2020
प्रतिलिपि—आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।
Liner
(दी पक केमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

Government of Bihar Department of Environment, Forest & Climate Change **Notification**

No.	Van Kshetra Pada 06/2012	·····/E.F& CC Patna-15 Dated	
-----	--------------------------	------------------------------	--

In exercise of the powers conferred by proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Range Officer of Forests Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2013:-

- Short title, extent and commencement:-1.
 - These Rules may be called the "Bihar Range Officer of Forests Cadre (Recruitment 1. and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2020".
 - It shall extend to the whole of the State of Bihar. 2.
 - It shall come into force with effect from the date of its publication of notification. 3.
- Substitution of Rule 2(ii) of the Bihar Range Officer of Forests Cadre (Recruitment . 2. and Services Conditions) Rules, 2013.- Rule 2(ii) of the said rules shall substituted as follows:-
 - 2(ii) "Commission" means the Bihar Police Sub-Ordinate Service Commission or any other Board/Commission/Authority decided by State Government time to time.
- Substitution of Rule- 11 of the Bihar Range Officer of Forests Cadre (Recruitment 3. and Services Conditions) Rules, 2013.- Rule- 11 of the said rules shall be substituted as follows:-
- 11. Written Examination: The Commission will conduct the written examination. Determination of total marks, subjects for the examination shall be done by the Commission. Decision regarding minimum eligibility marks for the result of the examination shall taken by the Commission in accordance with the guidelines issued by the Government of Bihar. Standard and procedure of the written examination shall be laid down by the Commission.

By order of the Governor of Bihar

Sd/-

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to Government

Memo No.- Van Kshetra Pada.- 06/2012-/E,F & CC, Patna-15,Dated:....

Copy to:-Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

Sd/-(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to Government

VVCP1

Memo No.- Van Kshetra Pada.- 06/2012-/E,F& CC, Patna-15, Dated:.....

Copy to:-Under Secretary, e-gazette cell, finance Department, Bihar, Patna (along with C.D. and two hard copy) for information and necessary action. He is requested to publish this notification in the next extraordinary issue of Bihar Gazette for the knowledge at general public.

Kindly send 500 copies of special Gazette to the Environment, Forest & Climate Change Department, Bihar, Patna.

Sd/-

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to Government

Memo No.- Van Kshetra Pada.- 06/2012-

(E)/E,F& CC, Patna-15,Dated:....

Copy to:-Secretary to the Governor of Bihar/Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Bihar/Advocate General, Bihar, Patna/Chief Secretary, Bihar/All Principal Secretary & Secretary/All Head of the Department/All Divisional Commissioner/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/Chairman, Bihar Police Sub-Ordinate Service Commission./Private Secretary to the Hon'ble Deputy Chief (Environment & Forest) Minister/ Private Secretary to Principal Secretary, Environment & Forest Department and Officers of Environment & Forest Department for information and necessary action.

Sd/-

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to Government

Memo No.- Van Kshetra Pada.- 06/2012-

/E,F& CC, Patna-15,Dated:....

Copy to:-Principal Chief Conservator of Forest, Bihar, Patna/All Additional Principal Chief Conservator of Forest, Bihar, Patna/All Regional Chief Conservator of Forest/All Chief Conservator of Forest/All Conservator of Forest/All Divisional Forest Officer, for information and necessary action.

Sd/-

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to Government

Memo No.- Van Kshetra Pada.- 06/2012-9081 /E,F& CC, Patna-15,Dated: 221012020

Copy to:-I.T. Manager, Environment, Forest & Climate Change Department, Bihar, Patna for uploading it on the Departmental at Website.

Principal Secretary to Government